बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अति–महत्वपूर्ण
फैक्स / ई–मेल

पत्रांक–प्र07–कि0आ0 04 / 2012–7585 खाद्य / पटना, दिनांक– 5/12/2012

प्रेषक,

जयशंकर प्रसाद यादव
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
सारण।

विषय :– थोक किरासन तेल विक्रेता के अनुज्ञप्तिधारियों को पेट्रोल एवं डीजल की अनुज्ञप्ति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 26.11.2012 को आहूत बिहार विधान सभा की शून्यकाल समिति की बैठक में माननीय सदस्यों द्वारा सारण जिलान्तर्गत तरैया प्रखंड में अवस्थित थोक किरासन तेल विक्रेता श्री हनुमान ऑयल के प्रोपराईटर की बहन के नाम से हनुमान पेट्रोल पम्प संचालित होने का उल्लेख किया गया है जिनकी दूरी 1 कि0मी0 से भी कम है।

उल्लेखनीय है कि विभागीय पत्रांक 4547 दिनांक 20.07.2012 द्वारा दो किलोमीटर से कम दूरी पर अवस्थित थोक किरासन तेल अनुज्ञप्तिधारियों के पेट्रोल पम्प के स्टोरेज लाईसेंस हेतु निर्गत एन0ओ0सी0 को ररद करने हेतु निदेशित किया गया है।

यह भी उल्लेख है कि स्थानीय जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा उपर्युक्त थोक किरासन तेल विक्रेता के विरूद्व सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक राशि लेकर एंव कम मात्रा में किरासन तेल की आपूर्ति करने का आरोप लगाया गया है।

अतएव अनुरोध है कि उपर्युक्त के संदर्भ में अविलंब जॉच कर तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को एक सप्ताह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

सरकार के अपर सचिव ।

D:\2012 sec-02\Year-2012\Sec-7\PDS Shop.doc